कार्यालय मुख्य वन संरक्षक

जगदलपुर वृत्त जगदलपुर बस्तर 494001 (छत्तीसगढ़)

फोन (कार्या) : 07782–222006 (निवास) : 227634 (फैक्स) : 07782–222120 E-mail-ccfjagdalpur@rediffmail.com

क्रं./व.त.अ./ 3033 जगदलपुर, दिनांक 28/11/2024

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(भू–प्र.वन(सं. एवं सं.)अ.)
नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़

विषय :– **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Construction of ITI, Polytechnic College and other associated infrastructures in Village-Chokawada Tehsil-Jagdalpur, District-Bastar under CSR Activities of NMDC Ltd, area-9.80 ha.-regarding**
पंजीयन क्रमांक – FP/CG/Others/28963/2017

संदर्भ :–
1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय नवा रायपुर का पत्र क्रमांक/FC-II/ROCH-22/2023/1449 (A) दिनांक 04/07/2023
2. छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय, रायपुर का पत्र क्रमांक/एफ 5–10/2023/10–2 दिनांक 02/08/2023
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व.सं.अ.) छत्तीसगढ़ नवा रायपुर का पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115–875/2524 दिनांक 18/10/2024
4. वनमण्डलाधिकारी, बस्तर वनमण्डल, जगदलपुर का पत्र क्रमांक/4045 दिनांक 22/11/2024

विषयांतर्गत् प्रतिवेदन है कि बस्तर वनमण्डल के माचकोट परिक्षेत्र अन्तर्गत् ग्राम चोकावाड़ा में आई.टी.आई. पॉलीटेक्निक कॉलेज एवं संबंधित आधारभूत संरचनाओं का निर्माण हेतु खसरा नम्बर 640 रकबा 1.700 हे. एवं खसरा नम्बर 638 रकबा 8.100 कुल 9.800 हे. राजस्व वनभूमि (वन/छोटे–बड़े झाड़ के जंगल) का वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,नवा रायपुर द्वारा प्रकरण में Proposal is part of CSR activity and it falls under non-site specific project as per para 1.15 of Handbook of FC Act guidelines, 2019 में निहित प्रावधान अनुसार प्रकरण को वापस किया गया है। जिसकी संसूचना छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व.सं.अ.) छत्तीसगढ़ नवा रायपुर के संदर्भित पत्र द्वारा इस कार्यालय को एवं आवेदक संस्थान को सूचित किया गया है।

आवेदक संस्थान ने पत्र क्रमांक/434 दिनांक 19.07.2024 द्वारा अभिलेख संलग्न कर स्पष्ट किया है कि आई.टी.आई, पॉलीटेक्निक कॉलेज एवं संबंधित आधारभूत संरचनाओं का निर्माण एक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) गतिविधि नहीं है, यह एन.एम.डी.सी. लिमिटेड द्वारा एन.एम.डी.सी. के इस्पात संयंत्र के लिए पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया के दौरान दिया गया आश्वासन है, ग्राम चोकावाड़ा में आई.टी.आई, पॉलीटेक्निक कॉलेज एवं संबंधित आधारभूत संरचनाओं का निर्माण हेतु चयनित क्षेत्र परियोजना प्रभावित गाँवों के निवासियों के लिए सुविधा जनक है, आई.टी.आई, पॉलीटेक्निक कॉलेज बनाने के उद्देश्य स्थानीय आदिवासी छात्राओं को एन.एम.डी.सी. इस्पात संयंत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप तकनीकी शिक्षा और कौशल में निपुण करना है। उक्त संदर्भ में आपके संदर्भित पत्र द्वारा पर्यावरण स्वीकृति की प्रति चाही गई है।

विषयांकित प्रकरण के आवेदक संस्थान द्वारा वांछित जानकारी वन मण्डलाधिकारी बस्तर वन मण्डल को प्रेषित किया गया है। वन मण्डलाधिकारी बस्तर वन मण्डल ने पत्र क्र/क.त.अ./4045 दिनांक 22/11/2024 द्वारा आपकी ओर अनुशंसा सहित प्रेषित कर इस कार्यालय को पृष्ठांकित किया गया है।

अतः वन मण्डलाधिकारी बस्तर वन मण्डल द्वारा प्रेषित विषयांकित जानकारी पुनः संलग्न कर प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही हेतु अनुशंसा सहित संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

मुख्य वन संरक्षक,
जगदलपुर वृत्त जगदलपुर

पृ.क्रं./व.त.अ./3034 जगदलपुर, दिनांक 28/11/2024

प्रतिलिपि :–

1. **कमिश्नर,** बस्तर संभाग, जगदलपुर जिला–बस्तर, छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. **वन मण्डलाधिकारी,** बस्तर वनमण्डल, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
3. **महाप्रबंधक (सेवायें)** एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट नगरनार जगदलपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित कर लेख है कि, प्रकरण निराकरण हेतु शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित करें।

मुख्य वन संरक्षक,
जगदलपुर वृत्त जगदलपुर